न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 87 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2024 / 291**
दायर दिनांक :– 23.05.2024 निर्णय दिनांक :– **23.12.2024**

1. भागीरथराम पुत्र हरीगाराम जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. ओप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. जगदीशराम पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. सुभाष पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. छोटूराम पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. लाछी पत्नी बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जैसला तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. बिरमा पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी डाबडी तहसील ओसिया जिला जोधपुर
7. अनोपी पुत्री बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी भैंसेर चावण्डिया तह. तिवरी जिला जोधपुर
8. बिदामी पुत्री बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर
9. रामनिवास पुत्र मोहनराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. विशनाराम पुत्र मोहनराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. सोमी पत्नी मोहनराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. सोना पुत्री मोहनराम जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील लोहावट जिला फलोदी
13. परमेश्वरी पुत्री हरिगाराम जाति विश्नोई निवासी चावण्डिया तहसील खींवसर जिला नागौर
14. सोमराज पुत्र हरिगाराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
15. कंवरलाल पुत्र हरिगाराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
16. सुगनी पत्नी हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी जैसलां तहसील घंटियाली जिला फलोदी
17. हीरा पुत्री हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी भींयासर तहसील व जिला फलोदी
18. बिदामी पुत्री हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी नगरासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
19. रामप्यारी पुत्री हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी भीयासर तहसील व जिला फलोदी
20. सुआ पुत्री हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी चावण्डिया तहसील खींवसर जिला नागौर
21. लिछमा पुत्री हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
22. जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा फलोदी जरिये प्रबन्धक
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक नियमित राजस्व वाद बंटवाड़ा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि खसरा नम्बर 277 रकबा 13.9212 हैक्टेयर सरहद मौजा ग्राम जैसला तहसील घंटियाली में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व

23/12/24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

नक्शा में संयुक्त दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/20 हिस्सा भूमि बंट में आती है प्रार्थी ने अपने बंट की भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 21 ने मौके पर पूर्व से अलग कर रखी है प्रार्थी ने अपने बंट की 1/20 हिस्सा काश्त भूमि को अपने मेहनत खाद से किमती व उपजाउ बनाया है, प्रार्थी के बंट की काश्त भूमि में विकास कार्य किये हुवे है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर मानसून की वर्षात से फसल एवं प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर उपयोग उपभोग निरन्तर करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 21 यदि प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारों की वादग्रस्त भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर देता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन व क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं हो पायेगी, इसलिए प्रार्थी दावेदार है और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 21 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है जिस हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 14 जवाब पेश नहीं करना चाहते है। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थी ५ः हक हिस्सा कितनी भूमि पर बनता है इसका निर्धारण मूल वाद में के निस्तारण पर ही किया जा सकता है। रेकर्डेड खातेदारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका नहीं जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/12/24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)